Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 203-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017 (KARTIKA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर, 2017

संख्या 130/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तिथि तक अक्तूबर, 2017 के मास से आगे किसी मास के लिए प्ररुप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा देय विलंब फीस की राशि का अधित्यजन कर सकती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की राशि से अधिक है।

आगे जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल राशि शून्य है, तो वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तिथि तक अक्तूबर, 2017 के मास से आगे के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की राशि, ऐसे विस्तार तक जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, दस रुपये की राशि से अधिक है, अधित्यजित हो जाएगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2017

No. 130/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues.

Further where the total amount of State Tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of October, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55795—C.S.—H.G.P., Chd.